



लोक जनशक्ति पार्टी (युवा)

छत्तीसगढ़ प्रदेश



राजेश मुखर्जी

देश अध्यक्ष (कार्यकारी युवा लोजपा)
प्रभारी रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र

श्री संजय सराफ

राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा लोजपा)
केंद्रीय कार्या. 12- जनपथ, नई दिल्ली,
मो. नं. : 09810080610

मा. राम विलास पासवान

राष्ट्रीय अध्यक्ष (लोजपा)
भूतपूर्व केंद्रीय उर्वरक रसायन व इस्पात मंत्री
केंद्रीय कार्या. 12- जनपथ, नई दिल्ली, फोन : 011-301761

में उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है ...

-रामविलास पासवान


क्रमांक : 01281

App 93/RZ/2013
19/4/13

दिनांक : 2 APR 2013

प्रति,

श्रीमान् अपीलीय अधिकारी
गृह विभाग, गृह मंत्रालय
नई दिल्ली



सूचना के अधिकार के नियमानुसार 30 दिनों के उपरान्त भी जानकारी उपलब्ध न कराने ? जानकारी उपलब्ध कराने बाबत

महोदय जी
06/05/13

मैंने दिनांक 22 फरवरी 2013 को एक पत्र के माध्यम से (पत्र क्रमांक-01257) सूचना अधिकारी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर (पत्र की छायाप्रति संलग्न) जानकारी चाही थी ? परन्तु सूचना के अधिकार के नियमानुसार आवेदनकर्ता को 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिये। किन्तु सूचना अधिकारी ने नियम को ताक में रखते हुये 30 दिन बीत जाने पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई ?

अतः मान्यवर अपीलीय अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि चाही गई जानकारी अतिशीघ्र ही उपलब्ध कराने का आदेश जारी करें।

धन्यवाद।

संलग्न :

1. 50/-रु. का पोस्ट ऑर्डर 14/5/13
2. पत्र की छायाप्रति संलग्न

राजेश मुखर्जी
प्रदेश अध्यक्ष (कार्यकारी)
छत्तीसगढ़ जनशक्ति पार्टी (युवा)
युवा लोजपा.
रायपुर (छ.ग.)

202 81
(23)

By Speed Post
RTI MATTER
(To be issued in Hindi)

No. VI.23014/24/2012-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated: 3rd May, 2013

- 6 MAY 2013

To,

Shri Rajesh Mukherjee,
Ravi CD Central,
Shitala Chowk, Mathpara,
Raipur (Chhattisgarh)

Subject:- First Appeal under the RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your First Appeal dated 02.04.2013 under RTI Act, 2005 received in this unit on transfer on 29.04.2013, and application dated 19.04.2013 received in this unit on 30.04.2013.

2. As regards your First Appeal dated 02.04.2013, it is observed that you have since received reply dated 09.04.2013 in response to your application dated 22.02.2013 as indicated in your letter dated 19.4.2013. Hence, no action on your First Appeal dated 02.04.2013 is called for.

3. With regard to your letter dated 19.04.2013, it is stated that since the desired information relating to Shri Akash Vig. is not available with this unit, this office is not in a position to comment thereon. The same may be obtained from the public authority with whom it may be available under the provision of the RTI Act-2005.

4. This issues with the approval of JS(PP & VS) and Appellate Authority.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) and CPIO
Tele: 23438120

Copy to: Shri Sanjay Mitra, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 16.04.2013.